अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश:-

1.अभ्यर्थी को निर्धारित समय से 01 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश नही दिया जाएगा

2.हिन्दी शीघ्रलेखन का टेस्ट 140 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा जिसे निर्धारित अवधि (50 मिनट) में लिप्यान्तर कर देना होगा । लिप्यान्तरण हिन्दी के फॉन्ट यूनिकोड-मंगल (रेमिंगटन-कीबोर्ड लेआउट) में करना होगा ।

3.अभ्यर्थी अपने साथ वर्तमान के पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ दोनों प्रवेश पत्रों (विधानसभा की प्रति तथा आवेदक की प्रति) में यथास्थान पृथक-पृथक चस्पा कर लायें। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की दोनों प्रति (विधानसभा की प्रति तथा आवेदक की प्रति) का प्रिंट लेकर आना है। उक्त फोटोग्राफ पर परीक्षा कक्ष में हस्ताक्षर करना होगा । विधानसभा की प्रति परीक्षा के दौरान जमा करा ली जाएगी । साथ ही अपना फोटो परिचय पत्र,आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र या शासन द्वारा अधिकृत पहचान पत्र भी लाएँ ।

4.परीक्षार्थी किसी भी प्रकार के मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य सामग्री लेकर परीक्षा केन्द्रों में न जायें। परीक्षा केन्द्रों में पर्स, पाऊच तथा इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि को लेकर जाना पूर्णतः वर्जित है।

5.सभी अभ्यर्थियों को फेस मास्क एवं सेनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा साथ ही भौतिक एवं सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रहेगा । प्रत्येक अभ्यर्थी को कोविड- 19 की रोकथाम हेतु केंद्र/राज्य शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन करना बंधनकारी होगा

6.सभी अभ्यर्थियों को मुख्य प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग कराना आवश्यक होगा । सामान्य औसत तापमान (98.6 F या 37.0 C) से अधिक तापमान दर्शित अभ्यर्थियों का प्रवेश वर्जित होगा इसी प्रकार पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल 95 से कम दर्शित अभ्यर्थियों को भी उक्त कौशल परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

7.कौशल परीक्षा मे उत्तीर्ण उम्मीदवारों के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी तथा कुल रिक्तियों के विरूद्ध 1:3 (एक अनुपात तीन) में साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी । साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपने साथ शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु) मूल रूप से अवश्य लेकर आयें। साथ ही उक्त समस्त दस्तावेजों की एक स्वप्रमाणित प्रति भी साथ में लायें। मूल प्रमाण पत्रों के चेक करने के पश्चात एक - एक स्व अभिप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी। अभ्यर्थी यदि शासकीय सेवा में कार्यरत हो तो संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी साथ में लायें। विवाहित अभ्यर्थी विवाह संबंधी संलग्न अभिवचन पत्र की पूर्ति कर साथ लायें।

8.क्रमांक 7 में उल्लेखित दस्तावेज साथ में न लाने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

9.निर्देशों का पालन न करने पर परीक्षक अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।